(५)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 64/2025 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

रोशनलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

गिरधर सिंह (मालिक/विक्रेता) पुत्र रामजीलाल मैसर्स कांवर ब्रदर्स डेयरी रूपवास रोड रूदावल भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल श्री अश्विनी गोयल एड0

निर्णय

दिनांक : 08.04.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 25.11.2025 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 28.01.2026 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 09.07.2025 को दोपहर 2.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स कांवर ब्रदर्स डेयरी रूपवास रोड रूदावल भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त डेयरी पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु दुकान में रखे हुए फ्रिज में स्टील की बाल्टी में लगभग 05 किग्रा **पनीर** रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/700/एक्ट/2025/720 दिनांक 21.07.2025 द्वारा उक्त **पनीर** का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का **पनीर** विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स कांवर ब्रदर्स डेयरी रूपवास रोड रूदावल भरतपुर से पनीर की जांच हेतु नमूना लिया गया है जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(5)

पाया गया है। उक्त **पनीर** का अप्रार्थी व्यवसाय नही करता है अपितु मात्र दूध विक्रय व खोवा आदि बनाने का कार्य करता हैं, अप्रार्थी द्वारा उक्त कारोबार को घाटा होने के कारण जून 2025 में बंद कर दिया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म के नाम से कोई चैकिंग मीमो आदि बनाकर अप्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कर अप्रार्थी के विरूद्व अवैध कार्यवाही की गई है जिसकी अप्रार्थी को कोई जानकारी नही थी। अन्त में अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर सबंधी बिन्दु पर तलब किया गया तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त डेयरी के विरूद्व शिकायत प्राप्त हुई थी तथा उसकी जांच करने पर सत्य पाई गई है व अप्रार्थी के हस्ताक्षर भी उसके द्वारा ही किये गये है। दौराने सुनवाई अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कथन को स्वीकार किया कि दिनांक 09.07.2025 को दोपहर 2.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स कांवर ब्रदर्स डेयरी रूपवास रोड रूदावल भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में दुकान में रखी हुई एल्यूमिनियम की ट्रे में लगभग 20 किग्रा **पनीर** रखा हुआ पाया गया खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/700/एक्ट/2025/720 दिनांक 21.07.2025 द्वारा उक्त **पनीर** का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 20,000/—रूपये (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)